

वन लेखा

वन विभाग का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, गुजरात करते हैं, जिनकी सहायता अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक करते हैं। इसमें 17 वन सर्कल हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व वन संरक्षक करते हैं, जिनकी अध्यक्षता में 70 वन प्रभागों के अधिकार क्षेत्र हैं। ये 70 वन प्रभागों की अध्यक्षता उप वन संरक्षक करते हैं। वन संरक्षक को रेंज वन अधिकारी (R.F.O.) और अन्य संबद्ध कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वन विभाग का समस्त प्रशासनिक नियंत्रण गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, के पास रहता है। सभी प्रभाग राज्य में वनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक प्रभाग अपने प्रारंभिक और सहायक खातों को संकलित करता है और राज्य के मासिक सिविल खातों में शामिल करने के साथ हर महीने महालेखाकार कार्यालय (A & E) गुजरात को संकलित खाते प्रदान करता है। वन खाते मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं (i) टिम्बर और अन्य वन उपज, स्टोर, उपकरण और पौधों पर खाते और (ii) नकद खाते। कोडल प्रावधानों के अनुसार, प्रभागीय वन अधिकारियों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ मासिक संकलित लेखे जिस महीने से लेखे संबंधित हैं उसके अगले महीने की 8 तारीख तक महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने होते हैं।